कार्यालय छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, सेक्टर-24, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुक्तांगन के पास, नवा रायपुर

क्रमांक/स्टोर/वाहन/2022-23/268

नवा रायपुर दिनांक 07/06/22

वाहन विक्रय हेतु निविदा आमंत्रण

वाहनों का विक्रय जहां है जैसी स्थिति में किया जाना है। विस्तृत विवरण एवं शर्ते निम्नानुसार है:-

क्र.	वाहन का प्रकार	चेचिस नं.	इंजिन नं.	अमानत राशि
1	2	3	4	5
1	महिन्द्रा लोगान सी.जी.-04 एच.ए. 3502 (मेक मॉडल 2007)	MA1LSRFJH7ZL26413	DO13422	7,000.00
2	महिन्द्रा लोगान सी.जी.-04 एच.ए. 3503 (मेक मॉडल 2007)	MA1LSRFJH7ZL26743	DO16002	7,000.00
3	मारूति स्वीफ्ट सी.जी.04 एच 6671(मेक मॉडल 2006)	MA3EYE41S00185504	G13BBN319559	7,000.00

1. प्रत्येक वाहन के क्रय हेतु निविदा दर, अमानत राशि तथा आवेदन पृथक-पृथक प्रस्तुत करना होगा।
2. इच्छुक क्रेता को बन्द लिफाफा में अपनी दरें (आफर) छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, सेक्टर-24, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के नये भवन में दिनांक 20.06.2022 समय अपरान्ह 2.00 बजे तक प्रस्तुत करनी होगी। निविदा हेतु आवेदन सादे कागज पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को संबोधित करते हुये समाचार पत्र में प्रकाशन तिथि एवं समाचार पत्रों का नाम सहित अमानत राशि के साथ जमा कर सकते है।
3. निविदा में सम्मिलित होने के पूर्व इच्छुक व्यक्ति/पार्टी को अमानत राशि रूपयें 7,000/- प्रति वाहन की मान से निगम मुख्यालय में नगद/बैंक ड्राफ्ट प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, अटल नगर, रायपुर के नाम जमा करनी होगी। बगैर अमानत राशि जमा किये निविदा में सम्मिलित होने की पात्रता नही होगी। अस्वीकृत निविदा की अमानत राशि एक सप्ताह पश्चात वापसी योग्य होगी।
4. न्यूनतम निर्धारित मूल्य से कम मूल्य स्वीकार योग्य नहीं होगा। दरें बन्द लिफाफा में ही स्वीकार की जावेगी। अधिकतम तय मूल्य पर वाहन विक्रय किया जावेगा। वाहन विक्रय का अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक का होगा।
5. निविदा स्वीकार करने के उपरान्त स्वीकृति की तिथि से 05 दिवस के अन्दर वाहन का पूर्ण मूल्य जमा करना होगा। पूर्ण राशि समयानुसार जमा नहीं किया जाता है तो संबंधित के अमानत राशि राजसात की जाकर नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा।
6. वाहन क्रेता को वाहन को ले जाने एवं देय सभी करों इत्यादि की भुगतान की व्यवस्था स्वयं को करना होगा। वाहन संबंधी कोई भी शुल्क आदि जमा करने की जिम्मेदारी स्वयं क्रेता का होगा।
7. वाहन की दरें प्रस्तुत करने हेतु बन्द लिफाफा में दरें निगम मुख्यालय, रायपुर में दिनांक 20.06.2022 समय अपरान्ह 2.00 बजे तक ही जमा किया जावेगा। इसके पश्चात कोई व्यक्ति/पार्टी का बन्द लिफाफा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
8. निविदा उसी दिनांक को दो घंटा पश्चात अर्थात दिनांक 20.06.2022 को शाम 4.00 बजे छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, सेक्टर-24, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के नये भवन में खोली जावेगी। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता या उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।
9. निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने हेतु संपूर्ण रूप से प्रबंध संचालक अधिकृत होंगे। किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)